तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत	नम्बर अहकाम तामीलमें
6/2/19	वकील फरीकैन उपस्थित। बहस फाईनल सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/2/19 को पेश हो।	
27/2/19	वकील फरीकैन उपस्थित। दावा वादीया तथा काउन्टर क्लेम प्रति. सं. 2 दोनो खारिज किये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दफ्तर हो।	

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

व इजलास– श्री तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

उनवान

उम्मेदी पुत्री लौहरेराम पत्नि तुलसीराम जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया सबतहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीया

बनाम

1. रघुनन्दन पुत्र लौहरेराम जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया तहसील सपोटरा हाल निवासी श्यामपुर जिला श्यापुर मध्यप्रदेश।
2. ओमप्रकाश पुत्र लौहरेराम जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. घनश्याम । पिसरान स्व0 प्रहलाद जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया हाल
4. डिग्गों उर्फ डिगेन्द्र । निवासी शिवपुर बी सर्वोदय स्कूल के पास गंगापुर सिटी
5. मुकेश । जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
6. पुष्पा पत्नि स्व0 प्रहलाद ।
7. गीता पत्नि जगमोहन जाति मीना निवासी डंगरिया तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
8. धप्पों पत्नि रामप्रसाद जाति मीना निवासी डोंगरी(डाबर) सब तहसील करणपुर जिला करौली राज0
9. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामेश्वरपाल जाति राजपूत निवासी डंगरिया हाल निवासी उपखण्ड कार्यालय के पीछे सपोटरा जिला करौली राज0
10. उंकार । पिसरान प्रभूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया तहसील
11. पुरूषोत्तम । सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
12. राधेश्याम ।
13. बालकृष्ण ।
14. बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया तहसील सपोटरा जिला करौली
15. रामचरण । पिसरान हजारी जाति नाथ (योगी) निवासी डंगरिया तहसील
16. रामप्रसाद । सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
17. जगदीश ।
18. बृजमोहन ।
19. तहसीलदार तहसील सपोटरा जरिये लैण्डहोल्डर।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः– 62/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कअई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री नेमीचन्द गर्ग वकील वादीया मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री मदनमोहन गुप्ता वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

दावा वादीया एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 1 व 2 खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत्.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का .....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.02.2019 को जारी की गई।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

मुहर

मुद्दई		मुद्दायलह	
	रूपया		रूपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टॉम्प वकालतनामा 3. स्टॉम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहान 6. फीस कमीश्नर 7. बबत् इजराय हुक्मनामा 8. मुतफर्रिक मीजान		1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टॉम्प अर्जी 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहान 5. फीस कमीश्नर 6. बबत् इजराय हुक्मनामा 7. मुतफर्रिक मीजान	
जोड़		जोड़	

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला-करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
62/14	दावा	17.09.2014	27.02.2019

उम्मेदी पुत्री लौहरेराम पत्नि तुलसीराम जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया सबतहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीया

बनाम

1. रघुनन्दन पुत्र लौहरेराम जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया तहसील सपोटरा हाल निवासी श्यामपुर जिला श्यापुर मध्यप्रदेश।
2. ओमप्रकाश पुत्र लौहरेराम जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. घनश्याम । पिसरान स्व0 प्रहलाद जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया हाल
4. डिग्गों उर्फ डिगेन्द्र । निवासी शिवपुर बी सर्वोदय स्कूल के पास गंगापुर सिटी
5. मुकेश । जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
6. पुष्पा पत्नि स्व0 प्रहलाद ।
7. गीता पत्नि जगमोहन जाति मीना निवासी डंगरिया तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
8. धप्पों पत्नि रामप्रसाद जाति मीना निवासी डोंगरी(डाबर) सब तहसील करणपुर जिला करौली राज0
9. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामेश्वरपाल जाति राजपूत निवासी डंगरिया हाल निवासी उपखण्ड कार्यालय के पीछे सपोटरा जिला करौली राज0
10. उंकार । पिसरान प्रभूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया तहसील
11. पुरूषोत्तम । सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
12. राधेश्याम ।
13. बालकृष्ण ।
14. बाबूलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया तहसील सपोटरा जिला करौली
15. रामचरण । पिसरान हजारी जाति नाथ (योगी) निवासी डंगरिया तहसील
16. रामप्रसाद । सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
17. जगदीश ।
18. बृजमोहन ।
19. तहसीलदार तहसील सपोटरा जरिये लैण्डहोल्डर।

–प्रतिवादीगण

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री नेमीचन्द गर्ग एड0 वकील वादीया।

श्री मदनमोहन गुप्ता एड0 वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीया इस प्रकार से है कि वादीया ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यक्ति है तथा मृतक पिता लौहरेराम पुत्र हरदेव जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया के

तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है। इसी प्रकार आराजी खसरा नं0 83/2 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 84 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 08 बीघा हिस्सा 1/2 वाके ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा जिला करौली मे वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के मृतक पिता, प्रतिवादी सं0 3 ता 5 के दादाजी एवं प्रतिवादी सं0 6 के मृतक ससुर लौहरेराम पुत्र हरदेव जाति ब्राहम्ण निवासी डंगरिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है। पिता लौहरेराम की मृत्यु के पश्चात् वादीया एव प्रतिवादी सं0 1 ता 6 हिस्सा अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है। पिता लोहरेराम की मृत्यु अरसा करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। पिता लोहरेराम की मृत्यु के पश्चात् वाद पत्र के मद नं0 2 व 3 मे वर्णित आराजीयात जरिये विरासत हम चारों भाई बहनों एवं हमारे मृतक भाई प्रहलाद के वारिशान 3 ता 6 को प्राप्त हो गई। वादीया एवं प्रतिवादी 1 ता 6 अपने मृतक पिता/दादाजी लोहरेराम की जीवनकाल से ही उक्त आराजीयात पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। पिता लौहरेराम द्वारा छोडी गई सम्पूर्ण भूमि मे वादीया का 1/5 वां हिस्सा है। लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात् वादीया के भाईयों ने वादीया से छिपाते हुए राजस्व रिकार्ड मे खाता केवल स्वयं के नाम राजस्व कर्मियों से साठ गांठ करके दर्ज करा लिया। राजस्व कर्मियों द्वारा विधि विरूद्व तरीके से वादीया को वंचित करते हुए खोले गये अंकन को वादीया दुरस्त कराकर तथा लोहरेराम की उपर वर्णित आराजीयात मे हिस्सा 1/5 स्वयं के नाम घोषित कराने की अधिकारी है। दिनांक 03 अक्टूबर 2013 को वादीया के भाई विशाल की मृत्यु भी हो चुकी है। वादीया का भाई विशाल अपने सम्पूर्ण जीवनकाल मे हमारे भाई प्रहलाद के परिवार के साथ कर्ता खानदान की हैसियत से रहा क्योंकि हमारे भाई प्रहलाद की मृत्यु करीब 24 वर्ष पूर्व छोटे छोटे अबोध नाबालिग बच्चों को छोडकर हो गई थी तभी से हमारा भाई विशाल जो अविवाहित था प्रहलाद की मृत्यु के पश्चात् प्रहलाद के परिवार की देखभाल मे लग गया और उसने अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व प्रहलाद के बच्चों के हक मे अपनी सम्पत्ति के बाबत् अपनी लिखापढी भी करा दी। प्रतिवादी सं0 3 ता 6 विशाल की सम्पत्ति पर भी उसके जीवनकाल से काबिज चले आ रहे है अर्थात हमारे पिता लोहरेराम के द्वारा छोडी गई उपर वर्णित सम्पत्ति के 2/5 वे हिस्से पर प्रतिवादी सं0 3 ता 6 तथा मैं वादीया व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक पिता लोहरेराम द्वारा छोडी गई उपर वर्णित आराजीयात के 1/5 वे हिस्से पर काबिज काश्त है। वादीया विधि विरूद्व तरीके से राजस्व रिकार्ड मे किये गये गलत इन्द्राज को दुरस्त कराकर अपने हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी है। अब सहखातेदारों एवं पारिवारिक लोगों से विवाद होने के कारण उक्त आराजीयात की संयुक्त काश्त भी संभव नही रह गइ है। इसलिए वादीया उक्त आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कराने की भी अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीयागण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 7, 8, 10, 12 लगायत 18 बावजूद तामील उपस्थित नही आये है इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 6 ने जरिये वकील अपना इकबालिया जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादीया का दावा डिक्री कर दिया जावे। प्रतिवादी सं0 9 ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम डंगरिया सब तहसील करणपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 170 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा 1/3 तथा आराजी खसरा नं0 171 रकबा 26 बिस्वा हिस्सा 1/3 मुझ प्रतिवादी सं0 9 को आवंटित हुई थी तथा तभी उक्त आरजीयात खसरा नं0 170 तथा 171 कुल रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा मे से अपना हिस्सा 1/3 पर काबिज है तथा अपने हिस्से पर काश्त करता चला आ रहा है तथा तभी से उक्त आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी सं0 9 के नाम से खातेदार काश्तकार के नाम से दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड मे तरमीम ने होने की वजह से प्रतिवादी सं0 9 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 2 ने जरिये वकील अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 2 रकबा 03 बीघा ग्राम डंगरिया मे स्थित ळै जिसमें प्रवितादी नं0 1 व 2 का 1/8, 1/8 व प्रतिवादी नं0 3 ता 6 का 1/8 एवं मृतक विशाल का 1/8 हिस्सा हक खातेदारी है एवं खसरा नं0 201/10 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा खसरा नं0 132 रकबा 02 बीघा, खसरा नं0 170 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 171 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा ग्राम डंगरिया मे स्थित है जिसमे प्रतिवादी नं0 1 व 2 1/12, 1/12 एवं प्रतिवादी सं0 3 ता 6 का 1/12 व मृतक विशाल का 1/12 हिस्सा हक खातेदारी है तथा खसरा नं0 83/2 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 84 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ग्राम नानपुर तहसील सपोटरा मे प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/8, 1/8 व प्रतिवादी सं0 3 ता 6 का 1/8 एवं मृतक विशाल का 1/8 हिस्सा हक खातेदारी संयुक्त है। विशाल लाओलाद फोत हो चुका है प्रवितादी नं0 1 व 2 मृतक विशाल के सगे भाई है

के वध वारिश है इसलिए प्रतिवादी नं0 2 जरिये काउन्टर क्लेम विशाल के हिस्से की ... प्रवितादी नं0 1 व 2 मृतक खातेदारी भूमि के हिस्सा की अपने हक मे खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी इन्द्राज अमल कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा वादीया खारित फरमाया जाकर काउन्टर क्लेम प्रवितादी सं0 2 डिक्री किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 व 2 को मृतक विशाल के हिस्से की आराजीयात दर्ज काउन्टर क्लेम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 व 2 के ह कमे राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी इन्द्राज अमल कराये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रतिवादी सं0 2 के काउन्टर क्लेम का जवाब वादीया द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 2 गलत है और स्वीकार नही है। वादीया को प्रवितादी नं0 2 ने कभी भीत जामणा नही दिये। वादीया नदीपाल अहमदाबाद मे नही रहती है बल्कि नींदर मे रहती है तथा वादीया अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। मृतक विशाल की खातेदारी मे मुझ वादीया का 1/4 हिस्सा है लोहरे की खातेदारी की आराजी मे विशाल की मृत्यु के बाद मुझ वादीया का 1/4 हिस्सा है क्योंकि वादीया विशाल की बहन है। प्रवितादी सं0 1 व 2 विशााल की हिस्से की आराजी मे 1/2–1/2 हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी नही है बल्कि विशाल के हिस्से की आराजीयात मे से वादीया 1/4, प्रतिवादी सं0 1 1/4, प्रवितादी सं0 2 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 3 ता 6 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। इसलिए काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 2 खारिज फरमाया जाकर दावा वादीया डिक्री फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा, काउन्टर क्लेम एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर कुल सात तनकीयात कायम की गई। वकील वादीया ने साक्ष्य मे वादीया उम्मेदी पीडब्ल्यू–1 शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीया ने नकल जमाबंदी (खेवट खतोनी) ग्राम डंगरिया सम्बत् 2017–2020 प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, सम्बत् 2070 से 2072 ग्राम डंगरिया प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 एवं ग्राम नानपुर सम्बत् 2067–2070 प्रदर्श–5 पेश किये है। प्रतिवादी सं0 2 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई तथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, काउन्टर क्लेम, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है:–

1. **आया वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 6 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है ?** इस तनकी को साबित. करने का भार वादीया पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी नकल जिनमे उभय पक्षकारान की कौम ब्राहम्ण दर्ज है जो कि हिन्दू धर्म से सम्बन्धित है किन्तु हिन्दू संयुक्त परिवार हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है वादीया उम्मेदी ने अपनी जिरह मे यह बात स्वीकार की है ओमप्रकाश व रघुन्नदन गांव डंगरिया मे रहते है जो अलग अलग रहते है। प्रहलाद, ओमप्रकाश, रघुनन्दन वादीया की शादी के बाद अलग अलग हो गये जिन्हे करीब 30 वर्ष से ज्यादा हो गये है। अतः यह तनकी वादीया के पक्ष मे आंशिक रूप से तय की जाती है।
2. **आया आया वाद पत्र के मद नं0 मे दर्ज आराजीयात खसरा नं0 132 लोहरेराम को उसके मामा ने दान मे दी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रवितादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नही किये जिनसे यह साबित सके कि विवादित आराजीयात खसरा नं0 132 लोहरेराम को उसके मामा से दान मे मिली हो। इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
3. **आया विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वाद पत्र मे उपलब्ध जमाबंदी नकल ग्राम डंगरिया सम्बत् 2070–2073 एवं ग्राम नानपुर सम्बत् 2067–2070 के अनुसार प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात के सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसमे वादीया का कही भी हिस्सा दर्ज नही है। वादीया के खातेदारी अधिकार हो तो यह तनकी नम्बर 4 मे तय किया जावेगा। इसलिए यह तनकी प्रवितादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
4. **आया वादीया विवादित आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है जिसमे लोहरेराम द्वारा छोडी भूमि पर वादीया का हिस्सा है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है। वादीया कही पर भी यह साबित नही कर पाई कि विवादित आराजीयात मे अपने पिता द्वारा छोडी भूमि पर अपने हिस्से पर वादीया का कभी कब्जा रहा हो और उस पर कभी

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

काश्त किया हो। वादीया ने अपनी जिरह मे यह बात स्वीकार की है कि सभी भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज है और उसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए यह तनकी विरूद्व वादीया तय की जाती है।

5. **आया वादीया विवादित आराजीयात की घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा कराने की अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है। तनकी नम्बर 3 से यह बात स्पष्ट हो गई है कि वादीया का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादीया ने इस सम्बन्ध मे ना तो कोई दस्तावेज पेश किया है और ना ही को स्वतंत्र गवाह पेश किये है। वादीया के पिता लोहरेराम की वाद पत्र प्रस्तुत करते समय लगभग 20 वर्ष पूर्व फोत हो चुकी है और 20 वर्ष बाद वादीया घोषणा खातेदारी का वाद पत्र पेश कर रही है इसका आशय यह हुआ कि वादीया का प्रतिवादीगण से पहले कोई विवाद नही रहा है, अब पारिवारिक विवाद हो जाने से यह वाद पत्र पेश किया है। वादीया ने लोहरेराम के पुत्र प्रहलाद के सभी वारिशान को पक्षकारा नही बनाया गया है प्रहलाद के पुत्रों के साथ दो पुत्रिया भी होने का वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस के दौरान जिक किया है जिसका खण्डन वकील वादीया द्वारा नही किया गया है इसका आशय यह है कि प्रहलाद के सभी वारिशान को वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है, इसिलए सभी वारिशानों को वाद पत्र मे पक्षकारा नही बनाये जाने के अभाव मे वाद पत्र वादीया खारिज होने योग्य है, वादीया विवादित आराजीयात की घोषणा खाातेदारी कराने की अधिकारी नही है। जब वादीया घोषणा खातेदारी कराने की अधिकारी नही है तो बंटवारा कराने की एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी भी नही हो सकती है। इसलिए यह तनकी विरूद्व वादीया तय की जाती है।

6. **आया दावा वादीया म्याद बाहर है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने की म्याद 12 की होती है। 12 वर्ष की अवधि तक भूमि सम्बन्धी घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। वादीया का पिता उम्मेदीलाल की मृत्यु करीब वाद पत्र प्रस्तुत करते समय 20 वर्ष हो चुकी थी। वादीया के पिता की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिशान पुत्रों के नाम विधिवत विरासत का नामान्तरकरण खुलकर उनके नाम खातेदारी इन्द्राज हो चुके है। इसलिए वादीया ने अपना वाद पत्र लगभग 20 वर्ष वाद प्रस्तुत किया है जो म्याद बाहर है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

7. **आया काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 मृतक विशाल के हिस्से की भूमि की खातेदारी कराने के अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 1 व 2 पर है। वाद पत्र मे दर्ज पारिवारिक सजरा के अनुसार लोहरेराम के चार पुत्र है, रघुनन्दन, प्रहलाद, ओमप्रकाश एवं विशाल। विशाल लोओलाद फोत हो चुका है यह बात उभय पक्षकारान मे स्वीकार्य कथन है। उम्मेदी अपने पिता की आराजी मे से अपने हिस्से की घोषणा खातेदारी करवाने मे अपनी तनकीयों को साबित नही कर पाई है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 यह साबित नही कर पाये कि विशाल के हिस्से की आराजी केवल उनका ही अधिकारी बनता हो। लोहरेराम के वैध तीन पुत्र विशाल के अतिरिक्त उसकी भूमि के वैध हकदार है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 व 2 मृतक विशाल के हिस्से की भूमि की खातेदारी कराने के अधिकारी नही है। अतःयह तनकी विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तय की जाती है।

8. **अनुतोषः–** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीया तनकी नं0 1 को अपने पक्ष मे आंशिक रूप से, तनकी नं0 4 व 5 को अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रही है। इसलिए वादीया का दावा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण भी तनकी नं0 2 तथा 3 को अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है, केवल तनकी नं0 6 को ही अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 व 2 का काउन्टर क्लेम भी खारिज कये जाने योग्य

अतः दावा वादीया एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 1 व 2 दोनो खारिज किया जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली